



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 4 मार्च, 2014

फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 335/79-वि-1-14-1(क)-8-2014

लखनऊ, 4 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 4 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 का निरसन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1- यह विधेयक उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 संक्षिप्त नाम
कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 20 सन्
2010 का
निरसन

2— उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

कुशल कर्मकार तैयार करने और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाने, परम्परागत शिक्षा की धारा से विद्यालय छोड़ने वाले छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें अवसर प्रदान करने, जिससे कि उन्हें उपयुक्त रोजगार के योग्य बनाया जा सके, उच्च अर्हता प्राप्त किन्तु बेरोजगार व्यक्तियों को उनकी विशाल संख्या को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर देने, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालने, कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के कारण उस में कम हो रहे रोजगार के अवसरों के निमित्त बेरोजगार व्यक्तियों को विकल्प प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना एवं गठन करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2010) अधिनियमित किया गया था। चूँकि उक्त अधिनियम में प्राविधानित परिषद् के कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन यथार्थरूप से सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, अतः उक्त अधिनियम के अधीन व्यावसायिक परीक्षा परिषद् की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

आज्ञा से,
एस0बी0सिंह,
प्रमुख सचिव।